

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम रायसिंहनगर  
पीठासीन अधिकारी :- अर्पिता सोनी अर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 163/2017

जीसीएमएस आईडी :- 2017/00834

1. रामेश्वरलाल पुत्र बगडावतराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. भूपराम पुत्र बगडावतराम जाति बिश्नोई निवासी उडसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. गिरदावरी देवी पुत्री बगडावतराम खिचड़ पत्नी बनवाशीलाल पुनियां जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज०
4. कलावतीदेवी पुत्री बगडावतराम खिचड़ पत्नी सुभाष धारणियां जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम

-वादीगण

1. वृजलाल पुत्र बगडावतराम जाति बिश्नोई निवासी 2 पीवीएम-2 पंचायत 40 कं वाई डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

1. श्री परविन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
2. श्री इन्द्रजीत गोदारा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार

-: निर्णय :-

दिनांक:-08.02.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2018 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर चक 1 एमके बी के खाता सं. 41/39 जमावंदी संवत 2071-74 के मु.नं. 4 प.नं. 125/287 के 1.075 है. व मु.नं. 11 प.नं. 125/290 के 6.200 है. नहरी मय खाला भूमि कुल 7.275 है. नहरी मय खाला में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सानुसार अच्छी में से अच्छी व खराब मेंसे खराब पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा मौका व जमावंदी सहित मिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेश दिए गये थे।

तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 1 एमके बी के खाता सं. 41/39 जमावंदी संवत 2071-74 के मु.नं. 4 प.नं. 125/287 कि.नं. 18 ता 21 की 1.012 है. 22 की .063 है. कुल 1.075 है. व मु.नं. 11 प.नं. 125/290 कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. नहरी मय खाला कुल 7.275 है. नहरी मय खाला भूमि रामेश्वरलाल-भूपराम-गिरदावरीदेवी-कलावतीदेवी हर चार ब.हि.व. 4.850 है. वृजलाल 2.425 है. पि० बगडावतराम कौम बिश्नोई सा० उडसर खातेदार दर्ज हैं। हिस्सा वृजलाल 2.425 है. एक्सिस बैंक लि० शाखा रायसिंहनगर व हिस्सा रामेश्वरलाल 1.212 है. एसवीआई शाखा(एडीबी) रायसिंहनगर मूर्तहीन हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक/भू.अ./19/1711 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया हैं कि-

1. वृजलाल वल्द बगडावत राम कौम बिश्नोई :- चक 1 एमके बी मु.नं. 11 कि.नं. 1-10-11-20 में 1.012 है., 21 में .228 है., 2/1 में .165 है., 9/1 में .166 है., 12/1 में .165 है., 19/1 में .166 है., 22/1 में .165 है. कुल 2.067 है. नहरी तथा मु.नं. 4 के कि.नं. 20 में .179 है., 21 में .179 है. कुल .358 है. नहरी इस प्रकार कुल 2.425 है. नहरी
2. रामेश्वरलाल-भूपराम-गिरदावरीदेवी-कलावतीदेवी पि० बगडावतराम कौम बिश्नोई : चक 1 एमके बी के मु.नं. 4 कि.नं. 18 में .253 है., 19 में .074 है., 20 में .074 है., 21 में .253 है., 22 में .063 है. कुल 0.771 है. नहरी तथा मु.नं. 11 के.नं. 2/2 में .088 है., 3 में .087 है., 12/2 में .088 है., 19/2 में .087 है. 22/2 में .063 है., 3 ता 8 में 1.5 है. कुल 4.133 है. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 4.850 है. नहरी मय खाला

उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
रायसिंहनगर

प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 01.02.2021 को स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारों को कोई एतराज नहीं है, आवेदन उम्रदराज व्यक्ति है, तथा उक्त प्रकरण को अतिशीघ्र सुनवाई कर निस्तारित करवाना चाहता है। अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव अनुसार जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर नो ऑब्जेक्शन किया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमत हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 ने इस पर सहमति जताई।

अतः पक्षकारान की सहमति के आधार पर तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार चक 1 एमके बी के खाता सं. 41/39 जमाबंदी संवत 2071-74 के मु.नं. 4 प. नं. 125/287 के 1.075 है. व मु.नं. 11 प.नं. 125/290 के 6.200 है. नहरी मय खाला भूमि कुल 7.275 है. नहरी मय खाला भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाकर खातेदार घोषित किया जाता है-

1. रामेश्वरलाल-भूपराम-गिरदावरीदेवी-कलावतीदेवी पि0 बगडावतराम कौम बिश्नोई : चक 1 एमके बी के मु.नं. 4 कि.नं. 18 में .253 है., 19 में .074 है., 20 में .074 है., 21 में .253 है., 22 में .063 है. कुल 0.771 है. नहरी तथा मु.नं. 11 के.नं. 2/2 में .088 है., 9/2 में .087 है., 12/2 में .088 है., 19/2 में .087 है. 22/2 में .063 है., 3 ता 8 में 1.518 है., 13 ता 18 में 1.518 है., 23 ता 25 में 0.684 है. कुल 4.133 है. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 4.850 है. नहरी मय खाला भूमि संयुक्त खाता में बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/4-1/4
2. बृजलाल वल्द बगडावत राम कौम बिश्नोई :- चक 1 एमके बी मु.नं. 11 कि.नं. 1-10-11-20 में 1.012 है., 21 में .228 है., 2/1 में .165 है., 9/1 में .166 है., 12/1 में .165 है., 19/1 में .166 है., 22/1 में .165 है. कुल 2.067 है. नहरी तथा मु.नं. 4 के कि.नं. 20 में .179 है., 21 में .179 है. कुल .358 है. नहरी इस प्रकार कुल 2.425 है. नहरी भूमि शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। बैंक के रहन आदि का अंकन यथावत रहेगा।

तहसीलदार रायसिंहनगर उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से पृथक पृथक खाता में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)  
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)  
रायसिंहनगर